मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–061/2024

कुलदीप कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन 1 एन.आर. पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री हीराराम जाति जाट साकिन 1 एन.आर पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. पुष्पा पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:निर्णय:–

दिनांक :– 3/6/24

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित प्रतिवादी सं. 1 का नाम विलोप्ति करते हुए चक 28 एसटीजी–ए के खाता सं. 43 के प.नं. 39/321, 40/321, 40/322 की कुल 3.467 हैक. मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा व चक 1 एन.आर. के खाता सं. 64 के प.नं. 42/331 की कुल 3.720 हैक. मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह [illegible] आज दिनांक 3/6/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.18 10:20:18 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा